

RAJYA SABHA

Friday, the 28th April, 2000/8 Vaisakha, 1922 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Delhi Schools Associated with Health Care Programmes

***481. SHRI NANA DESHMUKH:** Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether schools in Delhi are associated with various health care and awareness programmes viz. Health Related Information Dissemination Amongst Youth (HRI- DAY), Student Health Action Network (SHAN), School Charter on Health Of Our Land (SCHOOL), School Annual Health Report Programme (SHARP);

(b) if so, whether Government would introduce such programmes throughout the country, especially in metros;

(c) if so, by when; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) Yes, Sir. Occasional symposia/meetings in regard to the health awareness programmes referred to in the question have been held by the voluntary organisations in some schools of Delhi.

(b) to (d) There is no such proposal with this Ministry.

श्री नाना देशमुख: सभापति जी, विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं देश की नई पीढ़ी हैं। इनके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों के लिए शुद्ध पेय जल उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार इन पढ़ने वाले अधिकांश बच्चों को पोषक आहार नहीं मिलता है, दिन-प्रतिदिन पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इनमें सिगरेट पीने का फैशन भी बढ़ता जा रहा है। इस सबके बावजूद यदि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह कहे कि अभी इस दिशा में हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है तो यह अत्यन्त दुःख और दुर्भाग्य का विषय बन जाता है। पिछले आठ-नौ वर्षों से दिल्ली के विद्यार्थियों ने मिलकर एक

“स्टूडेंट हैल्थ एक्शन नेटवर्क” नामक एसोसिएशन बनाई है। इसमें दिल्ली के लगभग 62 विद्यालय सम्मिलित हैं। इन बच्चों ने सब दृष्टियों से इस ओर प्रयास आरम्भ किए हैं। लेकिन क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो विद्यार्थियों की इनिशिएटिव पहल है, इस दृष्टि से देश के बड़े-बड़े शहरों में लाभ उठाकर कुछ करने जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): महोदय, माननीय सदस्य ने दिल्ली की जिस संस्था का नाम लिया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस “हृदय” नामक संस्था की जानकारी है। इस संस्था द्वारा समय-समय पर दिल्ली के विद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसमें स्कूलों के बच्चों की भी सहभागिता रहती है। वैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत भी पोषण आहार के कार्यक्रम हैं और अलग-अलग कार्यक्रमों में तथा हमारे कैरिकुलम में भी स्वास्थ्य के संबंध में निर्देश भी दिए गए हैं कि हर स्कूल में इस प्रकार के बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में भी, कैरिकुलम में भी, वह बात शामिल रहे, यह भी दिया गया है। सोशल आर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ये कार्यक्रम दिल्ली के स्कूलों में आयोजित हो रहे हैं.....। कुछ स्कूलों में उसे अच्छी सफलता मिली है, इसकी भी हमें जानकारी है तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस पर विचार भी किया जा रहा है। यदि सोशल संगठन इस प्रकार के कार्यक्रम लेकर सामने आते हैं तो वह स्वागत योग्य होगा।

श्री नाना देखमुख: सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि 1998 में बच्चों का एक प्रतिनिधि मंडल वर्तमान प्रधानमंत्री जी से मिला था। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आश्वासन भी दिया था। लेकिन उस संस्था से मुझे पता चला है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से उन्हें आज तक कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: सभापति जी, बच्चों का प्रतिनिधि मंडल, जो प्रधानमंत्री जी से मिला था वह तम्बाकू या इस प्रकार के जो व्यसन हैं उनसे बचाव के कार्यक्रमों को लेकर मिला था क्योंकि सोशल अवेयरनेस या सामाजिक जागृति इस प्रकार के कार्यक्रमों से ही संभव है। इस प्रकार के कार्यक्रम जगह-जगह पर चल भी रहे हैं। मंत्रालय द्वारा अनेक संस्थाएं भी सोशल अवेयरनेस के कार्यक्रम करती रहती हैं। अतः यह केवल एक ज्ञापन था और उस ज्ञापन में तम्बाकू सेवन की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसकी बात कही गई थी। इसलिए हमारे कैरिकुलम में स्पष्ट निर्देश भी है कि स्वास्थ्य के संबंध में कैरिकुलम में यह बात समाहित होनी चाहिए।

श्री नाना देशमुख: कैरिकुलम में होना एक चीज है लेकिन क्या कैरिकुलम की सब बातें कार्यान्वित होती हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या देश में विशेषतः बड़े-बड़े नगरों में जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में इस प्रकार के प्रयासों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या कर रहा है?

श्रीमती सुमित्रा महाजन: सभापति जी, जैसा मैंने बताया कि कैरिकुलम में तो ये बातें हैं ही परंतु यदि इस प्रकार की और भी संस्थाएं आगे आती हैं तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय उनका सहयोग लेकर ऐसे कार्यक्रम आगे बढ़ाने के बारे में अवश्य सोचेगा।

श्री नाना देशमुख: सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्वयं क्या कर रहा है? क्योंकि सारा धन पार्लियामेंट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को मिलता है, इन संस्थाओं को नहीं। मैं तो सीधे-सीधे यह पूछ रहा हूँ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्वयं इस दिशा में कौन-सी पहल कर रहा है?

श्रीमती सुमित्रा महाजन: माननीय सभापति जी, मैं बार-बार वही बात कह रही हूँ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो पोषण आहार के भी कार्यक्रम चलाता है, छोटे बच्चों 0-6 वर्ष तक के तथा बड़े बच्चों के लिए भी पोषण आहार के कार्यक्रम जैसे न्यूट्रीशियस फूड कैसा होना चाहिए, आदि की जानकारी के कार्यक्रम जगह-जगह पर चलाता है। कुछ केंद्रीय विद्यालयों में भी साल में दो बार बच्चों का हेल्थ चेक-अप किया जाता है। नवोदय विद्यालयों में क्योंकि ये रेजीडेंशियल स्कूल हैं एक नर्स हमेशा उपस्थित रहती है तथा डॉक्टर भी समय-समय पर बच्चों का चेक-अप करता है। साल में दो बार इसकी चैकिंग हो जाए इसकी भी व्यवस्था है तथा हेल्थ चेक-अप की भी व्यवस्था है। ऐसे कार्यक्रम सामाजिक संस्थओं की मदद से समय-समय पर किए जाते हैं क्योंकि यह सामाजिक जागृति का कार्यक्रम है और सामाजिक जागृति का कार्यक्रम सामाजिक संस्थाओं की मदद से ही संभव है।

श्री नाना देशमुख: सामाजिक संस्थाओं की मदद से करना और..... (व्यवधान)

श्री सभापति: नाना जी, एक मैम्बर दो सवाल पूछा सकता है और आप चार सवाल कर चुके हैं। यदि यह इतना ही महत्वपूर्ण विषय है तो इस पर आप चाहें तो हाफ-एन-आवर डिस्कशन या कुछ और कराने की भी सोच सकते हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव: हाफ-एन-आवर डिस्कशन होना चाहिए।

श्री संतोष बागड़ोदिया: चेयरमैन साहब जब हम लोग बच्चे थे, स्कूल में जाते थे तो मुझे याद है कि सरकार की तरफ से टीका लगाने के लिए कर्मचारी आया करते थे और हम लोग भाग जाया करते थे। उस समय हमें समझाया जाता था कि इन टीकों का क्या महत्व है। वैसे मैं यह मानता हूँ कि यह सामाजिक संस्थाओं द्वारा होना चाहिए। लेकिन सामाजिक संस्थाएं अगर नहीं काम करें या उनको आप बढ़ावा न दें और किसी भी कारण से अगर कम्युनिकेशन गैप रहे तो हमें सरकार की क्या ड्यूटी? क्या सरकार हमें यह बोल दे कि इसे सामाजिक संस्थाएँ करेंगी इसलिए कि हम बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। आप पब्लिक स्कूलों में करते हैं तो प्राइवेट स्कूलों में अगर साल में दो बार इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेक-अप या कोई मानडर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं तो एक बार तो कर सकते हैं। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ गरीब बच्चे जाते हैं, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ कम पैसों में पढ़ाई होती है और वे प्राइवेट स्कूल हैं। ऐसे स्कूल गरीब एरियाओं में भी हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उन स्कूलों के लिए आप क्या इंतजाम कर रहे हैं?

श्रीमती सुमित्रा महाजन: माननीय सभापति जी, मैंने पहले ही बताया कि इम्प्यूनाइजेशन का कार्यक्रम चलता है। स्वास्थ्य विभाग की मदद से भी बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, पोषक आहार कार्यक्रम चल रहा है। अगर इससे भी ज्यादा सदस्य चाहेंगे तो मंत्रालय में हम इस पर जरूर विचार करेंगे।

प्रो. रामगोपाल यादव: श्रीमन् अभी माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली के जो बच्चे प्रधानमंत्री जी से मिले थे वे तम्बाकू के सेवन के बढ़ते हुए प्रचलन को लेकर मिले थे। महोदय, आज यह एक गंभीर समस्या हो गई है। अगर आप किसी भी स्कूल या कालेज में जाएं तो आप देखेंगे कि वहां की दीवारें तम्बाकू और गुटके के धूक से सनी हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि स्कूल और कालेज के परिसर में चाहे बच्चे हो चाहे टीचर हों, क्योंकि अगर टीचर सिगरेट पीएगा या गुटका खाएगा तो वह बच्चों को इसके लिए रोक नहीं पाएगा.....(व्यवधान)...अध्यापक की जो मर्यादा और गरिमा है उससे आप अपने आप को कंपेयर न कीजिए। सब की अलग अलग मर्यादा होती है। आप सड़क पर जो कर सकते हैं a teacher is not expected to do that समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे समाज को अपेक्षाएं होती हैं। उस स्थान पर आप अपने को रखकर मत देखिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसे सख्त निर्देश या कोई ऐसा सर्कुलर जारी करने की आप कृपा करेंगी जिससे हिन्दुस्तान के स्कूलों और कालेजों में पूरी तरह से गुटके, तम्बाकू या सिगरेट के सेवन पर प्रतिबंध हो, चाहे वह स्टुडेंट हों या टीचर हों?

श्रीमती सुमित्रा महाजन: माननीय सभापति जी, एक महिला के नाते मैं तो चाहूंगी कि पूरे हिन्दुस्तान में ये चीजें बंद हों।

प्रो. रामगोपाल यादव: आप पूरे हिन्दुस्तान के मंत्री हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: मैं भी सब जगह की बात कर रही हूं। ये चीजें जरूर बंद होनी चाहिए। लेकिन जहां तक स्कूलों का संबंध है तो कुछ स्कूलों का अपना मैनेजमेंट रहता है और स्टेट गवर्नमेंट भी स्कूलों का संचालन करती हैं। यहां से हम केवल नीति निर्देश, गाइड लाइन्स उनको दिया करते हैं। इस बारे में जो आपने विचार प्रकट किए तो यह बात ठीक है कि स्कूलों में कम से कम ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कई स्टेट्स में बंदिश है और स्कूलों के आसपास भी यह चीजें नहीं बिक सकती। वहां इस पर बंदिश है। इस दृष्टि से हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सोचेंगे कि इस में क्या किया जा सकता है क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। इसलिए बच्चों की ठीक तरह से परवरिश हो, ठीक तरह के उन पर संस्कार पड़े, इस पर पूरी जागरूकता से मंत्रालय विचार कर रहा है और आगे भी करता रहेगा।

श्री स्वराज कौशल: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से तम्बाकू के सेवन के बारे में बहुत कंसर्न एक्सप्रेस किया है। नार्थ ईस्ट में यह बड़ी गम्भीर समस्या बनी हुई है और वहां हर दूसरी-तीसरी मौत कैंसर से होती है। इसका कारण यह है कि वहां पर तम्बाकू का बहुत सेवन होता है। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले साल जुलाई से पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर आसाम और त्रिपुरा में तम्बाकू इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए इनसेंटिव दिये गये। यहां तक कि जहां कहीं तम्बाकू इंडस्ट्री लगाई जाए, सिगरेट इंडस्ट्री लगाई जाए तो उन्हें 100 प्रतिशत एक्साइज रिफंड मिलता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी के नोटिस में यह बात है और यदि है तो हेल्थ रीजंज के कारण संबंधित विभाग से यह मामला वे उठायेंगे ताकि तम्बाकू पर कम से कम इनसेंटिव न हो क्योंकि वहां पर तम्बाकू इंडस्ट्री लगाने पर 100 प्रतिशत एक्साइज रिफंड है?

श्रीमती सुमित्रा महाजन: सभापति महोदय, मुझे लगता है कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री सभापति: हां, संबंधित नहीं है।

श्री टी.एन.चतुर्वेदी: सभापति महोदय, श्री नाना देशमुख जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उसमें जो उनका दबाव था, जिस पर वे महत्व दे रहे थे, वह था कि बच्चों ने यह पहल की है। महोदय, सरकार तो ऐसे कार्यक्रम करती रहती है मगर यह रिच्युलिस्टिक हो जाते हैं या कुछ अच्छे स्कूलों तक ही सीमित रहते हैं जैसे कि अभी रामगोपाल जी ने कहा है। तो प्रश्न इस बात का है कि इस प्रकार की पहल के लिए क्या मंत्री जी राज्य सरकारों और उनके द्वारा जो और इस प्रकार के संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको प्रेरित करेंगी ताकि इस तरह का आन्दोलन अधिक से अधिक राज्यों में फैले? जैसे कि कहा गया है महानगरों में ही नहीं बल्कि और छोटे-छोटे नगरों में तथा गाँवों में भी इस प्रकार यह आन्दोलन फैले। इससे समाज में भी जागरण होगा और बच्चों में भी समाज के प्रति सेवा की भावना जागृत होगी। क्या बच्चों के इनिशियेटिव और पहल को देखते हुए उसी ढंग से, उसी गम्भीरता से मंत्रालय इस मामले को लेगा?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय सभापति जी, मैं माननीय नाना देशमुख जी का पूरा-पूरा सम्मान करती हूँ। मैं जानती हूँ कि किस प्रकार से इस देश के भविष्य के लिए और राष्ट्र के लिए वे समर्पित भावना से काम कर रहे हैं। इस प्रश्न को पूछने की उनकी भावना को भी मैं समझ सकती हूँ। अभी जैसे माननीय सदस्य ने कहा, यह बात भी सही है कि दिल्ली में जैसे एक्०आर०आई०डी०ए०वाई० संस्था है, इसमें अच्छे अच्छे डाक्टर हैं। इन लोगों ने पहले कर के बच्चों में जागरूकता लाई है क्योंकि कई बार जागरूकता आवश्यक होती है, अच्छी चीजों को प्रेरित करना ही आवश्यक होता है और इस दृष्टि से जो यह पहल की गई है, हम इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। मैं जानती हूँ, मुझे लगता है पूरा सदन भी जानता होगा कि देश के कई हिस्सों में इस प्रकार के कार्यक्रम अलग-अलग संस्थाएं करती रहती हैं और जहां जहां आवश्यक है स्कूलों का मैनेजमेंट

भी इसमें सहयोग करता है। फिर भी सदन की भावना को दृष्टिगत रखते हुए मानव संसाधन मंत्रालय आवश्यक सलाह राज्य सरकारों को जरूर देगा।

† श्री मोहम्मद आजम खान : सभापति महोदय, प्रश्न तो बड़ा साफ था और जवाब शायद उतना साफ नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या मानव संसाधन मंत्रालय भी इस सिलसिले में कोई काम कर रहा है या नहीं। दो तरीके हैं। एक तो सरकार अपनी तरफ से कार्य करे और दूसरा तरीका यह है कि प्राइवेट आर्गेनाइजेशंस इस काम में सहायता करें। ज़ाहिर है कि यह काम सरकार ने अच्छे ढंग से नहीं किया होगा तभी प्राइवेट संस्थाओं को यह जिम्मेदारी दी गई होगी। लेकिन हमारा अपना तजुर्बा भी है क्योंकि पूरे देश में ऐसा माहौल है कि यह संस्थाएं केन्द्र सरकार से प्रदेश की सरकारों से बड़ी-बड़ी रकम लेती हैं, उनका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। रामगोपाल जी का सवाल सिर्फ तम्बाकू तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि गुटका कहीं ज्यादा भयानक साबित हो रहा है। हम देखते हैं चौथे दर्जे, पांचवें दर्जे और छठी क्लास के स्कूल के बच्चे साइकिल पर एक पैर नीचे है और एक पैडल पर है, दुकान पर रुकेंगे और गुटके का पैकेट फाड़ेंगे जिस तरह का सीन टी०वी० पर देखते हैं, उसी तरह का एक्टिंग करके वह गुटका खाने का काम करते हैं। यह बड़ी भयानक सूरतेहाल होती जा रही है जो शायद सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है। केन्द्र सरकार जो पैसा देती है ऐसी संस्थाओं को, वह बहुत बड़ी रकम होती है। ऐसी संस्थाएं मेरी भी जानकारी में हैं जिन्हें बहुत पैसा मिलता है और इन्हें चलाने वालों की जिंदगी बड़े ऐशो-आराम से कटती है। जब हम किसी को पैसे देते हैं अपनी जाती हैसियत से या सरकारें देती हैं तो अपनी शरायतों के साथ दे सकते हैं। जो पैसा केन्द्र सरकार की तरफ से ऐसी संस्थाओं को दिया जाता है ज़ाहिर है कि वह इस अच्छे काम को करने के लिए या अपनी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए दिया जाता है। तो क्या सरकार पैसे देते वक्त उन शरायतों को भी शामिल करेगी जिसमें फलां फलां पाबंदियां लगायी जाएं और उनकी मैनेजमेंट बाडी में विधायकों और सांसदों को भी रखा जाए ? क्योंकि ऐसी संस्थाओं में यह देखा गया है कि सारे लोग जेबी रखे जाते हैं। एक संस्था है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसके बारे में जानता हूं। उसका सदस्य वही बन सकता है जो एक लाख रुपए जमा कर सकता है लेकिन संस्था का एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसने अपनी जेब से एक लाख रुपए जमा किए हों। मैं जानता हूं एक ऐसी संस्था को जिसमें सारे लोग एक लाख रुपए के हैं। तकरीबन इसमें एक सौ से ज्यादा हैं। उस संस्था का जो स्वामी था, जो उसका मालिक था उसने जमा किए थे। तो यह एक संस्था के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। देश बहुत बड़ा है। न जाने कितनी संस्थाएं होंगी और इस पैसे का कितना नाजायज इस्तेमाल होता होगा। चुनांचे हम पैसे देते वक्त शरायतें रखें कि इन्हीं शर्तों पर पैसा दिया जाएगा और सांसदों और विधायकों को भी मैनेजमेंट बाडी में रखा जाएगा ताकि एक नजर रखी जा सके कि समाज का और देश का जो पैसा इस्तेमाल होता है उसका सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं। क्या इस पर कोई निर्णय लेंगी ?

† Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय सभापति जी, सबसे पहले तो मैं इस प्रकार कहना चाहूंगी कि केन्द्र ने कुछ भी नहीं किया यह तो कहना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि यह तो सतत् चलते वाली प्रक्रिया है। संस्कार देना, बच्चों को बड़ा करना, देश का भविष्य बनाना और एक-एक जुड़ने वाले बुराईयों का-क्योंकि बुराईयों तो सबसे ज्यादा जुड़ती जाती हैं, समाज में कभी बाहर से आती हैं कभी अंदर से उग जाती हैं-सामना करना, उनको हटाना, उनसे लोहा लेना और अच्छे संस्कार डालना, यह तो सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए ऐसी प्रक्रिया में सरकार अपना काम करती ही रहती है। मैंने पहले की कहा कि सरकार के भी अपने कार्यक्रम हैं चाहे वह इम्यूनाइजेशन का हो चाहे पोषणाहार का हो, बारबार मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहूंगी। लेकिन उसके साथ साथ भी इतने बड़े देश में सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी नकारा नहीं जा सकता है। उनका सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। कई ऐसे सरकारी उपक्रम भी हैं जो सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से अच्छे तरीके से चलते भी हैं। माननीय सदस्य ने अभी जो कहा कि संस्थाएं गलत होती हैं-‘मैं यह तो नहीं कह सकती हूँ कि सभी संस्थाएं गलत होती हैं, सभी संस्थाओं का आचरण गलत होता है, या सभी संस्थाएं पैसे का दुरुपयोग करती हैं। यह कहना भी उचित नहीं होगा। कई संस्थाएं अच्छा काम करने वाली हैं जैसे आज के प्रश्नों से जो संस्थाएं सामने आई हैं वे अच्छा ही काम करने वाली संस्थाएं करके सामने आई हैं। फिर भी मैं कहना चाहूंगी मान्यवर, मैं अपने मंत्रालय की बात करना चाहूंगी कि मानव संसाधन मंत्रालय में भी कई बार समय-समय पर इन संस्थाओं का परीक्षण होता रहता है हमारी अपनी वेब साइट है। जिन संस्थाओं पर बंदिश लगी हुई है उनको भी हम प्रदर्शित करते रहते हैं और अभी अभी हमारे मंत्रालय के अंतर्गत ही एक इस प्रकार का टास्क फोर्स ही कहें, उसका हमने गठन किया है जिसमें ज्वायंट सेक्रेट्री रहेंगे, एडीशनल सेक्रेट्री चेयरमैन रहेंगे और जो सामाजिक संस्थाएं मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं उनको कंटीनुअसली मानीटर करती रहेंगी। इसी प्रकार की योजना है। वैसे तो पहले से हो रहा था लेकिन और सक्रियता से, और अच्छे तरीके से, और इम्पैक्टिकली यह होता रहे इसलिए अभी अभी ऐसी टास्क फोर्स का हमने गठन भी किया हुआ है।

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, smoking is one of the biggest health hazards in the world. Lakhs of people every year in India die from the effects of smoking, but one has seen that far from more health awareness being promoted, the tobacco companies are making a farce of the health hazard warning. Sir, 25 years ago, in this House, I had a Bill passed, putting a warning 'smoking is health hazard', on every packet of cigarette. If you see the advertisements—Members could see huge advertisements outside—they have pictures of glamorous models and all those things, but the health hazard warning is in a corner, and it is almost invisible. Sir, this is a racket. This has become a farce. I want to know from the Government what specific action it is taking to ensure that the health of our younger generation is not destroyed by

tobacco companies which are out to make a killing literally, both as far as money is concerned and as far as children are concerned.

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति जी, जैसे यह स्पेसेफिक प्रश्न जो टोबैको किलिंग के लिए पूछा गया है, ऐसे कुछ स्पेसेफिक एक्शन मंत्रालय द्वारा अभी नहीं सोचे गए हैं, क्योंकि यह केवल एक ही बात नहीं है जो बच्चों पर गलत प्रभाव डाल रही है और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो बच्चों पर गलत प्रभाव डाल रही हैं। उसके लिए ही जैसे मैंने कहा है कि सामाजिक तौर पर और बच्चों में भी अवेयरनेस ला करके ही इससे जूझा जा सकता है। लेकिन फिर भी सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, इस संबंध में जरूर हम विचार करेंगे कि कुछ स्पेसेफिक एक्शन अगर लिए जा सकते हैं जो मंत्रालय उसमें हिचकिचाएगा नहीं।

Compensation to States for Procurement of Foodgrains

*482. SHRI LAJPAT RAI: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) how Government propose to compensate the loss suffered by Punjab and its procuring agencies for procuring foodgrains for Central pool;

(b) whether such situation has taken place in any other State procuring foodgrains for the Central pool; and

(c) if so, the measures taken to compensate the losses?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRISHANTA KUMAR): (a to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) In pursuance of Minimum Support Price (MSP) operations during kharif 1994-95 in Punjab, the State Agencies procured some paddy. The State Agencies could not get the paddy milled, and which had to be consequently auctioned. A sum of Rs. 120 crores, being the difference between the cost of paddy and its sale price has already been disbursed to the State as a full and final settlement. The claim of loss of Rs. 8.19 crores and Rs. 10.48 crores in M.S.P. operation pertaining to wheat for Rabi 1993-94 and 1995-96 respectively was rejected on the grounds that the responsibility for storage and preservation of procured stocks is that of the State Agencies, prior to the handing over of these stocks to the Food Corporation of India.